

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/06/2017

क्र. एफ 16-06/2017/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका 6.3.3 में एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 की कण्डिका 8.2 में आंशिक संशोधन कर "कम से कम 50 एकड़" को "कम से कम 10 एकड़" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 12/06/2017

पृ. क्र. एफ 16-06/2017/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. रोजगार आयुक्त, उद्योग एवं रोजगार संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फिसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उप सचिव)

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग